

प्रेस नोट दिनांक 16.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा ब्राण्डेड कम्पनीयों के रैपर व बारकोड लगाकर नकली बीडी बेचने वाले 02 अभियुक्तों को भारी मात्रा में नकली बीडी, रैपर, बारकोड, व अन्य सामग्री सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर, इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए ब्राण्डेड कम्पनीयों के रैपर व बारकोड लगाकर नकली बीडी बेचने वाले 02 अभियुक्तों को भारी मात्रा में नकली बीडी, रैपर, बारकोड व अन्य सामग्री सहित किया गया गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेशानुसार जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु दिनांक 15/16.06.2021 की रात्रि को एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था । जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारीयों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में अभियान के अन्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी । इसी क्रम में थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस द्वारा कोकपुरा पुल के नीचे संदिग्ध व्यक्ति /वाहन चैकिंग की जा रही थी तभी पुलिस टीम को एक व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया जिसके हाथ में एक थैला लटका हुआ था जिसे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया गया जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग व घेराबन्दी कर कोकपुरा पुल से 100 मीटर आगे पकड़ लिया गया । उक्त व्यक्ति के तलाशी लेने पर उसके पास थैले में 32 पैकेट बीडी बरामद की गयी ।

पुलिस पूछताछ-

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना नाम डालिम पुत्र जमीरुद्दीन निवासी कामत थाना समरसरगंज जनपद मुर्शिदाबाद पं0 बंगाल हाल पता डमरू अड्डा विजय नगर थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा बताया । पुलिस टीम द्वारा बरामद बीडी के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं और मेरा एक अन्य साथी मिलकर विजय नगर में हरीशंकर यादव के मकान में किराए पर रहते हैं और दोनो लोग मिलकर उसी मकान में नकली बीडी की पैकिंग करते हैं गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहाँ एक व्यक्ति मकान की तीसरी मंजिल पर बीडी के बण्डल पैक कर रहा था और आस- पास के कमरों में भारी मात्रा में बीडी के वण्डल, रैपर, बारकोड व कुछ बोरे बीडी के वण्डलों से भरे हुए रखे थे । पुलिस टीम द्वारा पैकिंग कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मौ0 शफीकुल शेख पुत्र सादेमन अली निवासी तारवागन थाना समरसरगंज मुर्शिदाबाद, पं0 बंगाल हाल पता डमरू अड्डा विजय नगर थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा बताया । पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग दिल्ली से खुली बीडी मगाकर उन्हें नामी कम्पनीयों के रैपर, बारकोड लगाकर दुकानदारों को सस्ती कीमत पर बेच कर लाभ कमाते हैं ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 228/21 धारा 420,467,468, 471,482 भादवि अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. डालिम पुत्र जमीरुद्दीन निवासी कामत थाना समरसरगंज जनपद मुर्शिदाबाद पं0 बंगाल हाल पता डमरू अड्डा विजय नगर थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा
2. मौ0 शफीकुल शेख पुत्र सादेमन अली निवासी तारवागन थाना समरसरगंज मुर्शिदाबाद, पं0 बंगाल हाल पता डमरू अड्डा विजय नगर थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा

बरामदगी-

1. 10 बोरा खुली बीडी
2. 02 बोरा तानजीत बीडी पैकेट बन्द (कुल 316 पैकेट)
3. 02 बोरा जीत बीडी पैकेट बन्द (कुल 371 पैकेट)
4. 03 बोरा कैश बीडी पैकेट बन्द (कुल 664 पैकेट)
5. 502 वण्डल जीत बीडी
6. 01 पैकेट रैपर बीडी का पुरा बनाने वाले (कुल 360 नग)
7. 24 पैकेट रैपर बीडी का बण्डल बनाने वाले (कुल 19200 नग)
8. 04 पैकेट पालीथीन बीडी पैक करने हेतु
9. 216 रैपर बार कोड (6480 बार कोड)
10. 01 बर्तन मे लेही

पुलिस टीम- श्री उपेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना फ्रेण्डस कालोनी, व0उ0नि0 श्री रमाशंकर उपाध्याय, उ0नि0 इमरान फरीद, उ0नि0 श्री रामप्रताप सिंह, का0 जावेद, का0 गोपेश अत्री, का0 अनिल कुमार, का0 बृजमोहन,

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा